सूचना का अधिकार संबंधी अनिवार्य सूचना

1. भूमिका एवं कार्य
2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुपालित क्रियाविधि
4. कार्यों के निर्वहन के लिए मानक
5. कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश इत्यादि
6. विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रणाधीन द्वारा धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
7. नीति निर्माण इत्यादि में जन-सदस्यों से परामर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्थाओं के ब्यौरे
8. बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का ब्यौरा
9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
10. आधिकारियों के वेतन ब्यौरे
11. प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट (सभी योजनाओं इत्यादि के विवरण)
12. आबंटित राशि तथा लाभार्थियों के अन्य ब्यौरों सहित राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका
13. प्रदत्त छूटों, परमिटों या प्राधिकार के प्रापकों का ब्यौरा
14. इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में उपलब्ध सूचना
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा
16. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य ब्यौरे
17. यथाविहित ऐसी अन्य कोई सूचना

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की भूमिका एवं कार्य

वर्ष 1995 में स्थापित औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का पुनर्गठन वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के आमेलन से किया गया था। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत में समस्त औद्योगिक नीति के प्रतिपादन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

जुलाई 1991 में शुरू भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रगामी उदारीकरण के कारण इस विभाग की भूमिका और कार्यों में निरंतर विस्तार होता रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन एवं प्रशासन से विभाग की भूमिका प्रौद्योगिकी एवं निवेश प्रवाह के सरलीकरण तथा उदारीकृत माहौल में औद्योगिक विकास के संवर्धन में रूपान्तरित कर दी गई है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की भूमिका एवं कार्यों में मुख्यत: निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्पर्धात्मक बनाने के लिए विकासात्मक जरूरतों तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति एवं कार्यनीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन,
- सामान्य तौर पर औद्योगिक विकास तथा विशेष तौर पर इसे विशिष्टतया सौंपे गए उद्योगों के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण एवं प्रोत्साहन तथा समथर्कारी वातावरण, अवसंरचना के सृजन के लिए मार्गदर्शन तथा सभी औद्योगिक एवं तकनीकी मामलों के संबंध में प्रौद्योगिकी अंतरण/सहयोग,
- उद्यम स्तर पर विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के संदर्भ में तथा प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन शुरू करके उत्पादकता में वृद्धि के लिए उनके नीतिगत मापदण्ड तैयार करना,
- भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संवर्धन एवं सरलीकरण तथा समन्वित शिकायत निवारण तंत्र के जरिए निवेशक की शिकायतों को दूर करना:

विभाग को उद्योगों एवं सेवा परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा अनिवासी (एन आर आई) निवेश का कार्य सौंपा गया है। विभाग एफ डी आई नीति बनाने तथा देश में एफ डी आई के सरलीकरण एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

विभाग द्विपक्षीय/ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करारों के क्षेत्र में निवेश एवं आर्थिक सहयोग संबंधी विषयों के लिए नोडल विभाग है। विभाग विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करारों के संबंध में वार्ताओं में सक्रिय रूप से संबद्ध है।

- पेटेंटों, ट्रेडमार्कों, औद्योगिक अभिकल्पों तथा माल संबंधी भौगोलिक संकेतों के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निर्माण तथा उनके अंतर्गत बने विनियमों एवं नियमों का प्रशासन;
- उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम,1951 का प्रशासन;
- औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा विशेष श्रेणी के सुदूर, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना|
- विशेष प्रोत्साहन पैकेजों के जरिए जम्मू एवं कश्मीर से अरूणाचल प्रदेश राज्य।
- उत्पादकता, गुणवत्ता और तकनीकी सहयोग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन और
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) के निर्माण में प्रयोग हेतु मासिक औद्योगिक उत्पादन सांख्यिकी का संकलन।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रोत्साहक और विकासमूलक उपायों के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जबकि अलग-अलग प्रशासनिक मंत्रालय उन्हें आबंटित विशेष उद्योगों के उत्पादन, संवितरण, विकास और आयोजना संबंधी पहलुओं की जांच करते हैं, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग समग्र औद्योगिक नीति के लिए जिम्मेदार है।

विभाग सामान्य तौर पर चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि सीमेंट, कागज, लुगदी, चमड़े, टायर तथा रबड़, हल्के वैद्युत उद्योग-धन्धे, उपभोक्ता सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, हल्के मशीनी औज़ार, हल्की औद्योगिक मशीनरी, हल्के इंजीनियरी उद्योगों इत्यादि के औद्योगिक विकास एवं उत्पादन की मॉनीटरिंग करता है। समय-समय पर सामने आने वाली चिंताओं की अपेक्षानुसार उपयुक्त कार्यकलाप किए जाते हैं।

भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन की मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा प्रमुख/ प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। यह मद औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को वर्ष 2003-04 के दौरान क्रियान्वयन हेतु आबंटित की गई है। विभाग विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों मे प्रौद्योगिक शुरूआतों एवं उन्नयन की आवश्यकता का अध्ययन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करता है जिससे कि यह औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकासों के साथ निरंतर आधार पर तालमेल बना सके तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सके। विभाग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के परामर्शदाताओं के जरिए भी अध्ययन प्रारंभ करता है।

विभाग देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह के सरलीकरण एवं वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी है। विभाग विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफ आई आई ए) के जरिए विदेशी निवेशों के समक्ष उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका अदा करता है, यह प्राधिकरण संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार सहित निवेशकों के साथ सीधे बातचीत करता है।

विभाग उदार विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग व्यवस्था के जरिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी क्षमता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। विदेशी प्रौद्योगिकी प्रवेश को एफ डी आई के जरिए तथा विदेशी प्रौद्योगिक सहयोग (एफ टी सी) करार, दोनों के जरिए सुबाध्य किया जाता है। एफ टी सी करारों को या तो आर बी आई को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वचालित मार्ग के जरिए अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

औद्योगिक विकास एवं निवेश के सुविधाप्रदायक के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप विभाग भारत में निवेश संबंधी माहौल तथा अवसरों से संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार के जरिए तथा भावी निवेशकों को लाइसेंसिंग नीति एवं क्रियाविधियों, विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत सामानों के आयात इत्यादि के बारे में सलाह दे कर निवेश संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाता है। नीति एवं क्रियाविधि के बारे में सूचना अब विभाग की इंटरनेट वेबसाइट (www.dipp.nic.in) पर उपलब्ध है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग पेटेंटों, अभिकल्पों, ट्रेडमार्कों तथा माल संबंधी भौगोलिक संकेतों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए भी उत्तरदायी है तथा उनके संवर्धन तथा संरक्षण से संबंधित पहल की निगरानी करता है। इनमें नीति तथा पेटेंट, अभिकल्प तथा ट्रेडमार्क के महानियंत्रक के कार्यालय के जरिए इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा शामिल है। यह क्षेत्रीय उद्योग संगठन संबंधी ऐसी ही पहलों के अलावा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा शीर्ष उद्योग संगठनों के संयोजन से औद्योगिक संपदा में अन्तर्निहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जागरूता का संवर्धन करता है | यह इन क्षेत्रों में विश्व व्यापार संगठन से संबंधित बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर करार के विभिन्न मुद्दों के बारे में सूचनाएं भी प्रदान करता है।

यह विभाग देश में पेटेंटो, डिजाइनों, ट्रेडमार्कों और भौगोलिक संकेतकों तथा मानव संसाधन विकास तथा जागरूकता पैदा करने संबंधी गतिविधियों आयोजन के संबंध में बौद्धिक संपदा प्रशासन के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ) जिनेवा के साथ तकनीकी सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित करता है।

यह विभाग औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता के संवर्धन हेतु एक नोडल बिन्दु है। यह उद्योग, कृषि और सेवा संबंधी क्षेत्रों में ए पी ओ द्वारा संचालित कार्यक्रमों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके और उत्पादकता संबंधी परियोजनाओं पर सलाह देने हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर एशियाई उत्पादकता संगठन, तोक्यो के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम चलाता है| यह भारतीय गुणवत्ता परिषद जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों द्वारा प्रमाणीकृत किया गया है, के तहत लेखापरीक्षकों तथा प्रशिक्षकों तथा राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निकाय बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन सेवाओं के माध्यम से आई एस ओ 9000/14000 श्रृंखला से संबंधित गुणवत्ता मानदंडों को अपनाने का प्रवर्तन करता है|

औद्योगिक भागीदारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं के जरिए हासिल किया जाता है। द्विपक्षीय स्तर पर, भारत-स्वीडन, भारत-लीबिया, भारत-हंगरी तथा भारत-बेलारूस संयुक्त आयोगों के लिए नोडल विभाग होने के अलावा, यह विभाग चुनिंदा देशों के साथ औद्योगिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा देखे जाने वाले संयुक्त आयोगों तथा संयुक्त कार्यदलों में प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी ही पहल यूरोपीय संघ तथा आसियान के लिए भी है। यह विभाग यूरोपीय आयोग के एशिया-निवेश कार्यक्रम की विभिन्न लिखतों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। विभाग शीर्ष उद्योग संघों जैसे कि फिक्की, सी आई आई, एसोचेम के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय पहलों, दोनों के जरिए औद्योगिक सहयोग के संवर्धन से संबंधित उनके कार्यकलापों में समन्वय भी करता है तथा उनके द्वारा आयोजित संयुक्त कार्य परिषदों तथा अन्य क्रियात्मक सत्रों में भाग लेने के अलावा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समन्वय करता है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत में संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के साथ कार्यक्रमों के समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र तंत्र के तहत एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसे संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर औद्योगिक कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करने का अधिदेश प्राप्त है। भारत शुरू से ही इस संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है। देशीय सेवा ढांचे के तहत भारत में यूनिडो के कार्यकलापों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, निवेशों के प्रोत्साहन तथा स्वच्छतर एवं पर्यावरणीय रूप से संपोषणीय प्रौद्योगिकियों के जरिए उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में संकेन्द्रित किया जाना है।

विभाग औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम), आशय पत्र (एल ओ आई), विदेशी सहयोग (एफ सी) अनुमोदन तथा अंतर्वाह तथा औद्योगिक उत्पादन की विवरणियों संबंधी सूचना के जरिए औद्योगिक क्षेत्र का अनुवीक्षण करता है। विभाग निवेश/प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अनुमोदित 'अवसंरचना क्षेत्रों' की प्रगति, अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के संवर्धन का भी समन्वय करता है। विभाग अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय नीतियों, कार्यनीतियों तथा दिशानिर्देशों का भी संकलन करता है।

विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सांविधिक संगठनों के जरिए निम्नलिखित केन्द्रीय विधानों को प्रशासित करता है:-

क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 को विस्फोटक मुख्यनियंत्रक के कार्यालय के जरिए प्रशासित किया जाता है।

ख) नमक उपकर अधिनियम, 1953 को नमक आयुक्त के कार्यालय के जरिए प्रशासित किया जाता है।

ग) बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई पी आर) से संबंधित केन्द्रीय विधानों नामत: पेटेंट अधिनियम, 1970, व्यापार चिह्न अधिनियम,1999, माल संबंधी भौगोलिक संकेत (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम,1999 तथा अभिकल्प अधिनियम,

2000 तथा उनसे संबद्ध नियम पेंटेंट, अभिकल्प तथा ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सी जी पी डी टी एम) के कार्यालय के जरिए प्रशासित किए जाते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम,1999 के अंतर्गत उपबंधित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना चेन्नई में की गई है।

घ) भारतीय बॉयलर अधिनियम,1923 का प्रशासन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, जो उक्त अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है, द्वारा बनाए गए भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के जरिए किया जाता है। इस अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्य और संघ, दोनों सरकारों का है क्योंकि "बॉयलर" विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है।

- यह विभाग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम संचालित करता है।

- यह विभाग औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता के प्रोत्साहन हेतु एक नोडल बिन्दु है। यह उद्योग, कृषि और सेवा संबंधी क्षेत्रों में ए पी ओ द्वारा संचालित कार्यक्रमों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके और उत्पादकता संबंधी परियोजनाओं पर सलाह देने हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ), तोकयो के साथ तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम संचालित करता है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों द्वारा प्रमाणीकृत किया गया है, के तहत राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निकाय लेखापरीक्षकों तथा प्रशिक्षकों बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन सेवाओं के जरिए आई एस ओ 9000/14000 श्रृंखला से संबंधित गुणवत्ता मानदण्डों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करता है,

- यह विभाग यूरोपीय आयोग के एशिया-निवेश कार्यक्रम की विभिन्न लिखतों के लिए भारत सरकार में नोडल एजेंसी है।

- यह विभाग भारत में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के साथ कार्यक्रमों का समन्वय एवं क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार में नोडल विभाग है।

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) कार्यकलापों के जरिए उद्योगों के विकास के लिए नोडल एजेंसी है।

- विभाग अपनी उन्नयन योजना (आई आई यू एस), जो एक नई योजना है, के जरिए भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पहल भी शुरू कर रहा है।

नीति एवं क्रियाविधि के बारे में सूचना अब विभाग की इंटरनेट वेबसाइट (www.dipp.nic.in) पर भी उपलब्ध है।